भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 369

28.11.2024 को उत्तर के लिए

ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का आकलन

369. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विशेषज्ञों और संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक निकायों द्वारा दिए पूर्वानुमानों के संदर्भ में देश में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए क्या कार्यनीति बनाई जा रही है; और

(घ) इस चुनौती से निपटने में विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) जलवायु परिवर्तन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन आने वाले संस्थानों से जुड़ा एक व्यापक मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित अध्ययन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय पहलुओं का अध्ययन कृषि, जल संसाधन, मानव स्वास्थ्य, विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन, शहरी आदि क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भी किया जाता है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय और सरकारी शोध संस्थान जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय तथा उनके विभाग भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित शोध करते हैं।

तीसरे राष्ट्रीय संचार (टीएनसी) में 'प्रभाव, संवेदनशीलता और अनुकूलन' पर एक अलग अध्याय शामिल है। टीएनसी की तैयारी के दौरान, अनुसंधान संगठनों/संस्थाओं द्वारा जैव विविधता और वन, कृषि, जल संसाधन, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, शहरी पारिस्थितिकी तंत्र और बुनियादी ढांचे, जेंडर, प्रभावों की आर्थिक लागत और मानव स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कई शोध अध्ययन किए गए।

सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता में कमी लाने और उसके प्रभावों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) को कार्यान्वित कर रही है, जिसमें विशिष्ट क्षेत्रों में संचालित मिशन शामिल हैं। एनएपीसीसी के तहत नौ में से छह मिशन जल, पर्यावास, कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन के संबंध में कार्यनीतिक जानकारी पर केंद्रित हैं। इसके अलावा, चौंतीस राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने जलवायु परिवर्तन संबंधी अपनी-अपनी राज्य कार्य योजनाएँ (एसएपीसीसी) तैयार की हैं। इन राज्य कार्य योजनाओं (एसएपीसीसी) को संदर्भ विशेष के लिए डिज़ाइन किया गया है और इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक राज्य की विभिन्न पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर विचार करते हुए अनुकूलन कार्यनीतियां उपलब्ध कराई गई हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के तहत, 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 847.48 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

सरकार अपने विकास पथ में गुणात्मक बदलाव के माध्यम से अपने विकास की योजना तैयार करने में अनुकूलन को मुख्यधारा में लाकर तथा चल रही योजनाओं से अनुकूलन लाभ प्राप्त करके दो-आयामी नीतिगत दृष्टिकोण अपना रही है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने, सामाजिक और आर्थिक संवेदनशीलताओं में कमी लाने तथा वर्तमान और भविष्य के जलवायु परिवर्तन प्रभावों का सामना करने के लिए अनुकलन क्षमताओं का संवर्धन करने हेतु लगातार प्रासंगिक जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित कर रहे हैं।

दिसंबर 2023 में यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत भारत के प्रारंभिक अनुकूलन संचार से पता चलता है कि वर्ष 2021-22 के लिए कुल अनुकूलन प्रासंगिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.6 प्रतिशत था, जो वर्ष 2015-16 की 3.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी से बढ़ गई है, जो यह दर्शाता है कि सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता में वृद्धि और अनुकूलन को विकास योजनाओं में एकीकृत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र से संसाधनों की प्रतिस्पर्धी मांगों के बावजूद अनुकूलन कार्यकलापों के लिए काफी मात्रा में संसाधनों की राशि खर्च कर रही है।
